

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 69 : Power to arrest.

- (1) Where the Commissioner has reasons to believe that a person has committed any offence specified in clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of section 132 which is punishable under clause (i) or (ii) of sub-section (1), or sub-section (2) of the said section, he may, by order, authorise any officer of central tax to arrest such person.
 - (2) Where a person is arrested under sub-section (1) for an offence specified under sub-section (5) of section 132, the officer authorised to arrest the person shall inform such person of the grounds of arrest and produce him before a Magistrate within twenty four hours.
 - (3) Subject to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974),—
 - (a) where a person is arrested under sub-section (1) for any offence specified under sub-section (4) of section 132, he shall be admitted to bail or in default of bail, forwarded to the custody of the Magistrate;
 - (b) in the case of a non-cognizable and bailable offence, the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner shall, for the purpose of releasing an arrested person on bail or otherwise, have the same powers and be subject to the same provisions as an officer-in-charge of a police station.
-

धारा 69 : गिरफ्तार करने की शक्ति

- (1) जहां आयुक्त के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट कोई ऐसा अपराध कारित किया है, जो उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या उपधारा (2) के अधीन दंडनीय है तो वह आदेश द्वारा केन्द्रीय कर के किसी अधिकारी को, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत करेगा।
- (2) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किया जाता है वहां व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी, व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की सूचना देगा और उसे चौबीस घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए—
 - (क) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत मंजूर की जाएगी या जमानत के व्यतिक्रम की दशा में उसे मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा के लिए अग्रेषित किया जाएगा;
 - (ख) असंज्ञेय और जमानतीय अपराध की दशा में, उपायुक्त या सहायक आयुक्त के पास किसी गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा निर्मुक्त करने के लिए वही शक्तियां होंगी जो किसी पुलिस थाने के प्रभारी व्यक्ति के पास होती हो और वह उन्हीं उपबंधों के अधीन होगा जिनके अधीन पुलिस थाने का प्रभारी व्यक्ति होता है।